

राजस्थान सरकार,

क्रमांक प.3(36):नविवि / 3 / 2012

जयपुर. दिनांक 22/07/2013

आदेश

अतः स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 17(6)अ के अन्तर्गत 10 वर्ष की सीमा में भूखण्ड के हस्तान्तरण पर ली जाने वाली आरक्षित दर की 5 प्रतिशत लेवी राशि खातेदारों को अवाप्ति के बदले विकसित आवंटित भूखण्डों के बेचान होने पर क्रेता के नाम हस्तान्तरण करते समय नहीं ली जाएगी;

राज्यपालि आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
7. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर..... (राजस्थान)।
9. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग।
10. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
11. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
13. मुख्य नगर निरीक्षक, राजस्थान।
14. सचिव, नगर सुधार न्यास..... (समस्त)।
15. रक्षित पत्रावली।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय